भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4600

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

पीएमएवाई के तहत लाभार्थियों को हटाना

4600. श्री सुदामा प्रसादः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयकर विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की अपात्रता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के लाभार्थियों का राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है और योजना से हटाए जाने वाले संभावित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या पात्र लाभार्थियों को गलत तरीके से हटाने के प्रघटन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आय सत्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत गलत तरीके से अपात्र के रूप में वर्गीकृत लोगों के हितार्थ कोई शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके समाधान के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अपात्र घोषित किए जाने से कमजोर परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई समिति गठित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (च): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासित है।

केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत लाभार्थियों की पहचान और उनके राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

...2/-

अधिनियम के तहत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों में की जाती है-केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार और शेष परिवार, जिन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा स्वयं निर्धारित मानदंडों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर, प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान के मानदंड राज्य की सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय स्थितियों के आधार पर अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकते हैं

केंद्र सरकार सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और निर्धन व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने हेतु समय-समय पर परामर्श जारी करती है। राज्य अपने लाभार्थी डेटाबेस को अद्यतन कर रहे हैं ताकि फर्जी राशन कार्ड हटाए जा सकें और सही लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। इस प्रकार, अधिनियम के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत लाभार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी, जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, या ऐसी अन्य व्यवस्था शामिल हो सकती है जो निर्धारित की जाए। अधिनियम में पात्र खाद्यान्नों के वितरण से संबंधित मामलों में पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण तथा अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों को लागू करने के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) की नियुक्ति/नियोजन का भी प्रावधान है। अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के उद्देश्य से अधिनियम में एक राज्य खाद्य आयोग के गठन/नियोजन का भी प्रावधान है। आयोग या तो स्वतः संज्ञान लेकर या शिकायत प्राप्त होने पर अधिनियम के अध्याय-II के अंतर्गत अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है और डीजीआरओ के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है।

*****